भू-हदबंदी वाद संख्या-02/2022-23

• श्रीमति ममता देवी बनाम श्रीमति ललीता देवी

• भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, अनुमंडल,खोरीमहुआ

आदेश की सं0 एवं तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश एवं की गई हस्ताक्षर एवं तिथि
3.7.24	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष सहित उनके विद्व अधिवक्ता की उपस्थिति हाजरी दी गई । प्रस्तुत दस्तावजों का अवलोकन किया ।	

विचारण

वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

प्रथम पक्ष :- श्रीमति ममता देवी पति -स्व0 वैजनाथ राय साकिन- मौजा-परगोडीह द्वारा निवंधित दस्तावेज 1620..दिनॉक 07.01.2002. मौजा -परगोडीह थाना नम्बर-328 खाता नम्बर-19 प्लॉट नम्बर- 481 रकवा-0.12 डी0 कुल खरीदी रकवा-0.12 डी0 ।

द्वितिय पक्ष :- श्रीमति ललीता देवी पति - बहादुर राय साकिन- मौजा-परगोडीह द्वारा निवंधित दस्तावेज संख्या-466 दिनॉक-07.02. 2023 को कय किया गया ।

भूमि का विवरण

मौज व थाना नम्बर	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
परगोडीह 328	26	482	0.1डी0	उत्तर-किशोरी राय वगैरह गणपत राय
		483	1/2डी0	द0-रास्ता
		484	0.2.1/2 डी0	पुरब-इमरोज खरीदी प्रतिमा देवी
			कुल रकवा - 0.4 डी0	पश्चिम-इमरोज खरीदी शंकुन्तला देवी

उभय पक्षकारों के बहस को सूनने एवं कागजातों के अवलोकन से साथ ही अंचल अधिकारी के जॉंच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष ममता देवी पति स्व0 वैजनाथ राय साकिन- मौजा -परगोडीह द्वारा निबंधित दस्तावेज संख्या-1620 दिनॉक-07.01. 2002 को कय की गई जो भूमि मौजा-परगोडीह खाता नम्बर-19 प्लॉट नम्बर- 481 कुल रकवा-0.12डी0 भूमि कय किया गया है । ऐसी परिस्थति में प्रथम पक्ष मामता देवी के आवेदन भुहदबंदी के दायरे में नही आता है एवं नियम संगत नही ठहरता है । तदनुसार प्रथम पक्ष मामता देवी के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है ।

01.उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के आलोक में सम्बंधित राजस्व उपनिरीक्षक,अंचल निरीक्षक के जॉच कराया गया प्राप्त जॉच के कम में बतलाया गया कि प्रतीमा देवी एवं ललीता देवी दोनों अपने खतियानी रैयत के वंशज में है जो अपने ही हिस्सेदार की भूमि को कय किए है ।

02.ममता देवी पति स्व0 वैजनाथ राय जो खाता नम्बर- 26 के खतियानी रैयत के वंशज नही है ।

03.ममता देवी के द्वारा जॉच में कहा जा रहा है कि यह भूमि कृषि योग्य है । लेकिन स्थानीय जॉच में पाया गया कि यह भूमि आवासीय लायक भूमि है वर्तमान में इस प्लॉट पर पक्का दीवार एवं मकान बनाकर ललीता देवी निवास कर रही है । श्रीमति ममता देवी पति स्व0 वैजनाथ राय साकिन - परगोडीह भूमि का मामला भू-हदबंदी के दायरे में लाना तर्क संगत एव विधि संगत नही है ।

प्रथम पक्ष :- श्रीमति ममता देवी पति स्व0 वैजनाथ राय के द्वारा खाता संख्या- 19 प्लॉट संख्या-481 रकवा-0.12 डी0 कय की है । द्वितिय पक्ष :-श्रीमति ललीता देवी पति बहादुर राय के द्वारा खाता संख्या-26 प्लॉट संख्या-482,483 एवं 484 प्लॉट सटे है जो आवासीय निर्माण के लिए वांछित है । अतः यह मामला भू-हदबंदी के बाहर है ।

आदेश

द्वितिय पक्ष श्रीमति ललीता देवी पति -बहादुर राय साकिन-परगोडीह के द्वारा खाता 26 प्लॉट संख्या-482,483 एवं 484रकबा-0.4 डी0 भूमि तीनों प्लॉट सटे है और भूमि क्रेता खतियानी रैयत के वंशज से है जो अपने ही हिस्सेदार से जमीन खरीदी किये है जो अंचलाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पत्रांक 1339 दिनांक- 10.10.2023 से स्पष्ट है । जो आवासीय निर्माण के लिए वांछित है।

अतः यह मामला भू-हदबंदी के बाहर है तथा 16(3) लागु नही होता है एतएव प्रथम पक्ष श्रीमति ममता देवी पति स्व0 वैजनाथ राय साकिन-परगोडीह के दावा को खारिज किया जाता है । आवेदक विहित प्रकिया के तहत न्यायालय में जमा कराये गए मूल्य की राशि वापस प्राप्त कर सकते है ।

लेखाप्रित एवं सत्यापित

3.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्ता
खोरीमहुआ

3.7.24

भूमि सुधार उप समाहर्ता
खोरीमहुआ

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.08.16 12:44:02 +05:30
Location: 192.168.100.32